प्रेस विज्ञप्ति

चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना

चिरेका के फतेहपुर इलाके मे अनधिकृत structures का किया गया डेमोलिशन

चित्तरंजन, 29.07.2024:

चित्तरंजन रेल कारखाना (चिरेका)के फतेहपुर इलाके के Street no.44,44A,45,46,48,50,51,55 के आस पास तथा बुर्नपुर रिवर साइड विद्यालय के पीछे अतिक्रमणकारियों द्वारा गैर क़ानूनी तौर पर निर्मित अनधिकृत 40 structures को आज पूरी तरह से डेमोलिश किया गया। उक्त डेमोलिशन कार्यक्रम दिनांक 29.07.2024 को लगभग 10.00 बजे प्रारंभ होकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया।
फतेहपुर इलाके के जिन structures को आज डेमोलिश किया गया उनका निरीक्षण दिनांक 26.12.2023 को किया गया था तथा निरीक्षण के पश्चात मौखिक तौर पर उसी दिन उन अनधिकृत structures में रहने वालों को खाली करने के लिए कहा गया था। पर्याप्त समय देने के बाद 08.01.2024 को Public Premises (Eviction of unauthorized occupants) Act 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया तथा 24.06.2024 को इसी एक्ट के के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस में अतिक्रमणकारियों को 15.07.2024 तक अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था।
23.07.2024 को Estate Officer द्वारा डेमोलिशन का आदेश जारी किया गया और 24.07.2024 को डेमोलिशन कार्यक्रम की तिथि, 29.07.2024 निर्धारित की गयी तथा 25.07.2024 को फिर से नोटिस जारी किया गया।
परन्तु इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर प्रशासन द्वारा 29.07.2024 को अनधिकृत 40 structures को डेमोलिश किया गया।